



## 36432 - कुर्बानी की परिभाषा और उसका हुक्म

### प्रश्न

कुर्बानी से अभिप्राय क्या है? और क्या यह वाजिब (अनिवार्य) है या सुन्नत है?

### विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

कुर्बानी :ईदुल अज्हा के दिनों में अल्लाह अज्जा व जल्ला की निकटता प्राप्त करने के लिए बहीमतुल अनआम (चौपाये जानवरों यानी, ऊंट, गाय, भेड़ या बकरी) में से जो जानवर ज़बह (वध) किया जाता है उसी को कुर्बानी कहते हैं।

यह इस्लाम के प्रतीकों में से है जो अल्लाह तआला की किताब, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत और मुसलमानों के इज्माअ (सर्वसहमति) से धर्मसंगत है।

अल्लाहकीकिताबसेप्रमाण :

1 – अल्लाह तआला का फरमान है :

(فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ)

“तो तू अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ और कुर्बानी कर।” (सूरतुलकौसर: 2)

2 – अल्लाह तआला ने फरमाया :

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

“आप कह दीजिए कि बेशक मेरी नमाज़ और मेरी सभी इबादतें और मेरा जीना और मेरा मरना सबसर्वसंसार के पालनहार अल्लाह के लिए है। उसका कोई शरीक (साझी) नहीं, मुझे इसी का हुक्म दिया गया है। और मैं सबसे पहला मुसलमान (आज्ञाकारी) हूँ।” (सूरतुल अनआम 162-163)

आयत में ‘नुसुक’ से अभिप्राय कुर्बानी है, यह सईद बिन जूबैर का कथन है। एक दूसरे कथन के अनुसार उससे अभिप्राय



सभी इबादते हैं जिनमें कुर्बानी भी शामिल है, यह कथन अधिक व्यापक है।

3 – और अल्लाह तआला ने फरमाया :

[ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ]

“और हर उम्मत (समुदाय) के लिए हम ने कुर्बानी का तरीका निर्धारित किया है ताकि वे उन चौपाये जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो अल्लाह ने उन्हें प्रदान किए हैं। तुम सब का सच्चा पूज्य केवल एक ही है, तो तुम उसी के आज्ञाकारी बनकर रहो और विनम्रता अपनानेवालों को शुभ सूचना दे दीजिए।” (सूरतुल हज्ज: 34)

सुन्नत(हदीस)सेप्रमाण :

1 - सहीह बुखारी (हदीस संख्या: 5558) और मुस्लिम (हदीस संख्या: 1966) में अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वह कहते हैं : (नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सफेद व काले रंग के भेड़ों की कुर्बानी की, उन्हें अपने हाथ से ज़ब्द किया और 'बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अक्बर' कहा और अपना पैर उनकी गर्दन पर रखा।)

2 – अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं : (नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में दस वर्ष रहे और हर वर्ष कुर्बानी करते रहे।) इसे अहमद (हदीस संख्या: 4935) और तिर्मिज़ी (हदीस संख्या: 1507) ने रिवायत किया है और शैख अल्बानी ने “मिशकातुल मसाबीह” (हदीस संख्या: 1475) में इसे हसन करार दिया है।

3 – उक्रबा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के बीच कुर्बानी के जानवर वितरण किये तो उक्रबा के भाग में जज़आ (छह महीने का भेड़) आया, तो वह कहने लगे ऐ अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम), मेरे भाग में जज़आ आया है। आप ने फरमाया: तुम उसी की कुर्बानी करो।) इसे बुखारी (हदीस संख्या : 5547) ने रिवायत किया है।

4 – बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया : (जिस ने ईद की नमाज़ के बाद कुर्बानी किया तो उसकी कुर्बानी पूरी हो गई और उसने मुसलमानों की सुन्नत को पा लिया।) इसे बुखारी (हदीस संख्या : 5545) ने रिवायत किया है।

मालूम हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्वयं कुर्बानी की है, और आप के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने भी कुर्बानी की है, और आप ने बतलाया कि कुर्बानी मुसलमानों की सुन्नत यानी उनका तरीका है।

यही वजह है कि कुर्बानी के धर्मसंगत होने पर मुसलमान एकमत हैं। जैसा कि कई एक विद्वानों ने उल्लेख किया है।



जबकि इस मुद्दे में उलमाकेबीच इख्तिलाफ है कि क्या कुर्बानी सुन्नते मुअक्कदा है या वाजिब (अनिवार्य) है कि जिसका छोड़ना जायज़ नही है ?

जम्हूर उलमा इस तरफ गए हैं कि कुर्बानी करना सुन्नते मुअक्कदा है। यह इमाम शाफई का मत, तथा इमाम मालिक और इमाम अहमद का प्रसिद्ध मत है।

जबकि दूसरे उलमा इस तरफ गये हैं कि कुर्बानी करना वाजिब (अनिवार्य) है। यह इमाम अबू हनीफा का मत, और इमाम अहमद से दो रिवायतों में से एक यही है। और शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिय्या ने भी इसी मत को इख्तियार किया है। वह कहते हैं : यही इमाम मालिक के मत में दो कथनों में से एक है या इमाम मालिक का ज़ाहिरी मत यही है।" इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह की पुस्तक "अहकामुल उज्जिया वज़्ज़कात" से समाप्त हुआ।

शैख इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह कहते हैं : "कुर्बानी का सामर्थ्य रखने वाले व्यक्ति पर कुर्बानी करना सुन्नते मुअक्कदा है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं अपनी ओर से और अपने घर वालों की ओर से कुर्बानी करे।" फतावा इब्ने उसैमीन (2/661)